DWS-1-A/10/89/2023-XXIX-1-Drinking Water Department

I/188740/2024

उत्तराखण्ड शासन
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1
संख्या 185 **/2024–62559/2024**
देहरादून : दिनांक : 08 **फरवरी, 2024**

कार्यालय ज्ञाप

"उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 96 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रख्यापित की गयी "ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख–रखाव नीति, 2024" की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : यथोपरि।

Signed by Arvind Singh
Hyanki
Date: 08-02-2024 14:38:34

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
सचिव।

संख्या– /62559/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी को मा0मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, ग्राम्य विकास/सहकारिता/पंचायतीराज/कौशल विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन, देहरादून।
5. निदेशक, स्वजल परियोजना, देहरादून।
6. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
8. निबन्धक, सहकारिता, उत्तराखण्ड।
9. कार्यकम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, नमामि गंगे, देहरादून।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
11. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
12. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
13. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लीथो प्रेस, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्तानुसार अधिसूचना को राजकीय गजट में प्रकाशित कराते हुए 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाइल।

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
सचिव।

737/2024

उत्तराखण्ड शासन,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
संख्याः– 184/62559/2024
देहरादून : दिनांक : 08 फरवरी, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 96 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित नीति बनाते हैं :–

ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख–रखाव नीति, 2024

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :

(1) इस नीति का संक्षिप्त नाम **"ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख–रखाव नीति, 2024"** है।

(2) यह नीति उत्तराखण्ड राज्य की समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों में तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें :–

इस नियमावली में –

(क) **"उपभोक्ता"** से वह व्यक्ति/संस्था/प्रतिष्ठान जिसके नाम अथवा पदनाम से जल संयोजन लिया गया है, अभिप्रेत है।

(ख) **"क्रियाशील घरेलू जल संयोजन (Functional Household Tap Connection-एफ0एच0टी0सी0)"** से "हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में कम से कम 55 एल0पी0सी0डी0, बी0आई0एस0 10500 मानकों के अनरूप, निर्धारित गुणवत्तापरक पेयजल, नियमित आधार पर दीर्घकालिक निरन्तर आपूर्ति के रूप में परिवार के उपयोग के लिए लिया गया जल संयोजन, अभिप्रेत है।

(ग) **"औद्योगिक संयोजन"** से "हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में औद्योगिक उपयोग यथा दुग्ध, डेयरी, मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, गैराज, कोल्ड स्टोरेज आदि के प्रयोजन के लिए लिया गया जल संयोजन, अभिप्रेत है।

(घ) **"संस्थागत संयोजन"** से जल संयोजन जो शासकीय शिक्षण संस्थाओं, सरकारी अस्पतालों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, और अन्य सहकारी संस्थाओं, केन्द्र व राज्य शासन के संस्थान और अन्य सरकारी कार्यालयों, भवनों तथा संगठनों के लिए लिया गया हो, अभिप्रेत है।

(ड.) **"अघरेलू (व्यवसायिक) संयोजन"** से हर घर नल से जल योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान हेतु लिया गया जल संयोजन, अभिप्रेत है।

(च) **"जल शुल्क (टैरिफ)"** से प्रत्येक घरेलू, व्यवसायिक, औद्यौगिक तथा संस्थागत संयोजन को प्रदाय जल के विरूद्व देय प्रभार, अभिप्रेत है।

(छ) **"ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (Village water Sanitation Committee (वी0डब्लू0एस0सी0)"** से ग्राम स्तर पर खुली बैठकों में पेयजल योजनाओं के प्रबन्धन, संचालन एवं रख–रखाव हेतु ग्राम पंचायत के अधीन गठित समिति, अभिप्रेत है।

(ज) **"अध्यक्ष"** से ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी0डब्लू0एस0सी0) का अध्यक्ष, अभिप्रेत हैं।

(झ) **"कार्यान्वयन एजेन्सी (Implementation Agency-आई0ए0)"** से पेयजल योजना

I/188737/2024

137/2024

के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कार्यदायी संस्था यथा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान, अभिप्रेत है।

(ट) **"एकल ग्राम योजना (Single Village Piped Water Supply Scheme-एस0वी0एस0)"** से, किसी एक राजस्व ग्राम में निवासरत परिवारों को लाभान्वित करने हेतु निर्मित पेयजल योजना, अभिप्रेत है।

(ठ) **"बहुल ग्राम योजना (Multi Village Piped Water Supply Scheme-एम0वी0एस0)"** से दो या दो से अधिक राजस्व ग्रामों में निवासरत परिवारों को लाभान्वित करने हेतु निर्मित पेयजल योजना, अभिप्रेत है।

(ड) **"एल0पी0सी0डी0" (Litre Per Capita Per Day)** से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम पेयजल की आपूर्ति, अभिप्रेत है।

(ढ़) **"नल–जल मित्र"** से पेयजल योजना के संचालन एवं रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नामित कार्यकर्ता, अभिप्रेत है।

(ण) **"पी0आर0आई0" (Panchayatiraj Institutions)** से पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित संस्था, अभिप्रेत है।

(त) **"एफ0टी0के0" (Field Testing Kit)** से पेयजल की गुणवत्ता मापन हेतु ग्राम पंचायत/वी0डब्लू0एस0सी0 स्तर पर उपलब्ध फील्ड टेस्ट किट, अभिप्रेत है।

(थ) **"पंचायत सचिव"** से राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, अभिप्रेत है।

(द) **प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति (Primary Agriculture Cooperative Credit Society)** से न्याय पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति अभिप्रेत है।

(ध) **एस0एच0जी0 (Self Help Group)** से ग्राम पंचायत स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूह, अभिप्रेत है।

3. "ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख–रखाव नीति, 2024" का कियान्वयन निम्नवत् किया जायेगा :–

भाग–1

"एकल ग्राम योजनाओं (Single Village Scheme) का संचालन एवं रख–रखाव नीति"

1. गुरूत्व आधारित एकल ग्राम पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव हेतु ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा आपदा एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों में अथवा आवश्यकतानुसार समय–समय पर तकनीकी सहयोग/मार्गनिर्देशन सम्बन्धित "कार्यान्वयन एजेन्सी" द्वारा प्रदान करते हुये त्रैमासिक आधार पर योजना की कार्यशीलता का मूल्यांकन किया जायेगा। प्रभावी तकनीकी सहयोग/मार्गनिर्देशन हेतु योजनाओं को क्षेत्रवार, कलस्टरवार अथवा विकास खण्डवार कार्यान्वयन एजेन्सियों के मध्य आवंटित किया जायेगा।

1.1 कतिपय एकल ग्राम गुरूत्व पेयजल योजनाओं, जिनके स्रोत की दूरी 05 कि.मी. तक की सीमा में हो, का संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी.डब्लू.एस.सी.) द्वारा किया जायेगा तथा इससे अधिक दूरी वाली एकल ग्राम गुरूत्व पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी. डब्लू.एस.सी.) की सहमति लेते हुए ही कार्यान्वयन एजेन्सी को आवंटित किया जायेगा। प्रभावी संचालन एवं रख–रखाव हेतु कार्यान्वयन एजेन्सियों के मध्य विकास खण्डवार/ क्षेत्रवार/कलस्टरवार योजनाओं को आवंटित किया जायेगा।

2. पम्पिंग/सोलर आधारित एकल ग्राम पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। प्रभावी संचालन एवं रख–रखाव हेतु कार्यान्वयन एजेन्सियों के मध्य क्षेत्रवार, कलस्टरवार अथवा विकास खण्डवार योजनाओं को आवंटित किया जायेगा।

3. विकल्प यह भी होगा कि कार्यदायी संस्था/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, योजना का रख–रखाव, सम्बन्धित ग्राम के स्वयं सहायता समूह /न्याय पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति अथवा स्थानीय अन्य सहकारी समिति से परस्पर सहमति की शर्तों पर करा सकती है। ग्राम पंचायत की सहमति से जल स्रोत संरक्षण/ संवर्धन, ग्रे–वाटर प्रबन्धन, सामुदायिक टैंकर फिलिंग स्टेशन, जल संयोजनों पर जल मापक यंत्र की स्थापना आदि के कार्य भी इनके द्वारा क्रियान्वित किये जा सकते हैं। कार्यों के सापेक्ष पारस्परिक सहमति/ अनुबन्ध के अनुसार इसका व्यय 15वें वित्त आयोग/मनरेगा/एकत्रित जल मूल्य की धनराशि से किया जायेगा।

4. **मानव संसाधन :–**
एकल ग्राम पेयजल योजना तथा अंतः ग्राम संरचनाओं के प्रभावी संचालन एवं रख–रखाव हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी के मार्गदर्शन में मानव संसाधनों यथा वाल्व/पम्प ऑपरेटर एवं रख–रखाव कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जायेगा। मानव संसाधनों की संख्या घरेलू संयोजनों के आधार पर निर्धारित की जा सकेगी। तकनीकी मार्गदर्शन हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत/कलस्टर के लिये एक अभियन्ता को नामित किया जायेगा। ऑपरेटर/ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं का मानदेय भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा उपभोक्ताओं से लिये गये जल शुल्क, 15वें वित्त आयोग अथवा स्वयं के आय के अन्य स्रोतों से किया जायेगा, जबकि विभाग द्वारा नामित अभियन्ता का वेतन/मानदेय सम्बन्धित विभाग द्वारा दिया जायेगा।

5. **योजनाओं का स्थायित्व :–**
एकल ग्राम पेयजल योजना के दीर्घकालीन स्थायित्व हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग, मनरेगा, सी0एस0आर0 अथवा अन्य उपयुक्त योजनाओं व अन्य वित्त पोषण स्रोतों के प्राविधानों का उपयोग करते हुए उपलब्ध समस्त पारंपरिक जल निकायों, सार्वजनिक और निजी बोरवेलों का पुनर्भरण किये जाने के लिये कार्यान्वयन एजेन्सी, पंचायती राज विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तैयार वार्षिक कार्ययोजना का ग्राम पंचायत की खुली बैठक में अनुमोदन कराया जायेगा।

6. समस्त एकल ग्राम पेयजल योजनायें जो नलकूप पम्पिंग/सतही (Surface) पम्पिंग आधारित हैं, के समस्त विद्युत देयकों का भुगतान पूर्व की भांति राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा अथवा समय–समय पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार किया जायेगा।

7. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गठित समस्त एकल ग्राम पेयजल योजना का पुनर्गठन आदि व्यस्थाओं हेतु सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेन्सी से तकनीकी मार्गदर्शन एवं अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

8. प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्तर पर पेयजल योजनाओं का संचालन एवं रख–रखाव "नल जल मित्र" द्वारा कराये जाने की प्राथमिकता होगी, जिसका मानदेय पंचायत द्वारा स्वयं के संसाधनों यथा 15वें वित आयोग की धनराशि, सी0एस0आर0 अथवा जल शुल्क से प्राप्त राजस्व से वहन किया जायेगा।

9. **जल शुल्क (टैरिफ) का निर्धारण :–**

9.1 गुरूत्व आधारित एकल ग्राम पेयजल योजनाओं हेतु टैरिफ दरें सम्बन्धित ग्राम

पंचायत/ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति द्वारा आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल और स्वच्छता समिति की आम बैठक में अनिवार्य रूप से तय की जायेगी। उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा निर्धारित दरों को सुलभ सन्दर्भ हेतु पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा।

9.2 पम्पिंग/सोलर आधारित एकल ग्राम योजनाओं हेतु वर्तमान में प्रचलित विभागीय टैरिफ के अनुसार जल शुल्क लिया जायेगा। भविष्य में इन योजनाओं पर होने वाले अनुमानित व्यय के दृष्टिगत टैरिफ को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है।

9.3 ग्राम पंचायत/वी0डब्लू0एस0सी0 के अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं में संयोजन शुल्क (घरेलू तथा वाणिज्यिक) अथवा अन्य किसी भी प्रकार के शुल्क हेतु धनराशि का निर्धारण सम्बन्धित ग्राम पंचायत/वी0डब्लू0 एस0सी0 द्वारा किया जायेगा, जबकि कार्यान्वयन एजेन्सी के अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं में संयोजन शुल्क (घरेलू तथा वाणिज्यिक) अथवा अन्य किसी भी प्रकार के शुल्कों हेतु धनराशि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा।

9.4 सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुरूप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले/अंत्योदय परिवारों को एक जल संयोजन पर प्रचलित टैरिफ के अनुसार छूट अनुमन्य होगी।

भाग–2

"बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं (Multi Village Scheme) का संचालन एवं रख–रखाव"

1. समस्त बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं (गुरूत्व आधारित/नलकूप पम्पिंग /सतही पम्पिंग/सोलर पम्पिंग) के संचालन एवं रख–रखाव हेतु निम्नवत् व्यवस्थायें की जा सकती है –

1.1 सम्पूर्ण पेयजल योजना का संचालन एवं रख–रखाव सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। प्रभावी संचालन एवं रख–रखाव हेतु एजेंसियों के मध्य योजनाओं का बंटवारा राज्य सरकार द्वारा एजेंसियों की क्षेत्रीय उपस्थिति/मानव संसाधन की उपलब्धता इत्यादि के दृष्टिगत विकास खण्डवार/कलस्टरवार/ क्षेत्रवार किया जायेगा।

1.2 बहुल ग्राम पेयजल योजना में यदि ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्वयं योजना के आंतरिक वितरण व्यवस्था का संचालन एवं रख–रखाव हेतु सहमत हो तो उसका दायित्व उन्हे सौंपा जा सकता है। प्रतिबन्ध यह होगा कि उनके द्वारा ग्राम को आपूर्ति किये गये बल्क जल की मात्रा के सापेक्ष शासन द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार जल मूल्य की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेंसी (उत्तराखण्ड जल संस्थान/उत्तराखण्ड पेयजल निगम) को देयक के सापेक्ष करना होगा। ग्राम में निवासरत परिवारों/लाभार्थियों से जल मूल्य की वसूली का दायित्व ग्राम पंचायत/वी0डब्ल्यू0एस0सी0 का होगा।

2. समस्त बहुल ग्राम पेयजल योजनायें जो नलकूप पम्पिंग/सतही पम्पिंग आधारित हैं, के समस्त विद्युत देयकों का भुगतान पूर्व की भांति राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा अथवा समय–समय पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार किया जायेगा।

3. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत गठित समस्त बहुल ग्राम पेयजल योजना के पुनर्गठन आदि व्यवस्थाओं हेतु सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेन्सी के सक्षम प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार यथा लागू, की अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

4. **जल शुल्क (टैरिफ) का निर्धारण :–**

4.1 बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं हेतु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रचलित टैरिफ के अनुसार जल शुल्क लिया जायेगा। भविष्य में इन योजनाओं पर होने

4

वाले अनुमानित व्ययों के दृष्टिगत पम्पिंग एवं गुरूत्व पेयजल योजनाओं हेतु पृथक–पृथक टैरिफ दरों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है।

4.2 अंतः ग्राम संरचनाओं का रख–रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं करने की स्थिति में वास्तविक रूप से जल की खपत के आधार पर राज्य सरकार द्वारा वॉल्यूमेट्रिक टैरिफ निर्धारित किया जा सकता है। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/वी0डब्लू0एस0सी0 द्वारा निर्धारित तिथि तक थोक जल मूल्य का भुगतान कार्यान्वयन एजेन्सी को नहीं किया जाता है तो कार्यान्वयन एजेन्सी ऐसी ग्राम पंचायतों/वी0डब्लू0एस0सी0 पर दंडात्मक प्रभार लगाये जाने के लिये अधिकृत होगी।

4.3 ग्राम पंचायत/वी0डब्लू0एस0सी0 के अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं में संयोजन शुल्क (घरेलू तथा अघरेलू) अथवा अन्य किसी भी प्रकार के शुल्क हेतु धनराशि का निर्धारण सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ वी0डब्लू0एस0सी0 द्वारा किया जायेगा, जबकि कार्यान्वयन एजेन्सी के अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं में संयोजन शुल्क (घरेलू तथा अघरेलू) अथवा अन्य किसी भी प्रकार के शुल्क हेतु धनराशि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा।

4.4 विकल्प यह भी होगा कि कार्यदायी संस्था/ग्राम पंचायत पेयजल योजना का रख–रखाव, सम्बन्धित ग्राम के स्वयं सहायता समूह/न्याय पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समिति अथवा स्थानीय अन्य सहकारी समिति से परस्पर सहमति की शर्तों पर करा सकती है। ग्राम पंचायत की सहमति से जल स्रोत संरक्षण/संवर्धन, ग्रे–वाटर प्रबन्धन, सामुदायिक टैंकर फिलिंग स्टेशन, जल संयोजनों पर जल मापक यंत्र की स्थापना आदि कार्य भी इनके द्वारा क्रियान्वित किये जा सकते हैं। कार्यो के सापेक्ष पारस्परिक सहमति/अनुबन्ध के अनुसार इसका व्यय 15वें वित्त आयोग/मनरेगा/एकत्रित जल मूल्य की धनराशि से किया जायेगा। कार्यों के सफल/सुचारू संपादन हेतु उक्त संसथाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4.5 कार्यों के सफल/सुचारू संपादन हेतु उक्त संस्थाओं को विभाग/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4.6 प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति स्तर पर पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव हेतु "नल जल मित्र" की सेवायें लिये जाने की प्राथमिकता होगी जिसका मानदेय पंचायत द्वारा स्वयं के संशाधनों यथा 15वें वित आयोग की धनराशि, सी0एस0आर0 अथवा जल शुल्क से प्राप्त राजस्व से वहन किया जायेगा।

4.7 सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुरूप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले/अंत्योदय परिवारों को एक जल संयोजन पर प्रचलित टैरिफ के अनुसार छूट अनुमन्य होगी।

भाग–3
"सेवा वितरण"

1. पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव हेतु अधिकृत एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित सेवा शर्तों के साथ उपभोक्ताओं को पीने योग्य गुणवत्ता युक्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी –

1.1 आपूर्ति की मात्रा :–

न्यूनतम 55 एलपीसीडी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की जायेगी। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य पानी की मांग मासिक औसत पर 55 एलपीसीडी से कम है, तो ग्राम पंचायतें आधिकारिक तौर पर कार्यान्वयन एजेन्सी को ग्राम पंचायत के लिए पानी की मांग की मात्रा के संदर्भ में सूचित कर सकती है।

I/188737/2024

/37/2024

1.2 निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएसः 10500) के अनुसार कम से कम बुनियादी जल गुणवत्ता के मापदण्डों को सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा समय–समय पर पेयजल नमूनों को निकटवर्ती जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराना होगा।

1.3 **फील्ड टेस्ट किट (एफ0टी0के0) हेतु प्रशिक्षित ग्रामीण महिलाओं द्वारा अनिवार्य परीक्षण :–**

वर्ष में दो बार (मानसून से पहले एवं मानसून के बाद) पेयजल स्रोतों के जल की गुणवत्ता की जांच कर संदूषण की सीमा का पता लगाया जायेगा तथा परीक्षण में संदूषित पाये गये जल नमूनों की जानकारी कार्यान्वयन एजेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी। संदूषित जल नमूनों की पुष्टि हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा निकटवर्ती जल गुणवत्ता प्रयोगशाला में भेजा जायेगा। प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्ति के उपरान्त सम्बन्धित स्रोत के उपचार हेतु मनरेगा अथवा अन्य मदों से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

1.4 रेखीय विभागों के सहयोग से स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम पंचायत/पी0आर0आई0 आदि में पानी की गुणवत्ता के संदर्भ में जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से इसके महत्व, जल जनित रोगों, स्वास्थ्य प्रभावों, सुरक्षित प्रचालन, भण्डारण आदि पर सभी हितधारकों में जागरूकता पैदा करने एवं क्षमता संवर्धन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

1.5 पानी के अनधिकृत दोहन, अवैध संयोजन और तोड़फोड़ जो अबाधित पेयजल आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, के विरूद्ध संचालन एवं रख–रखाव एजेन्सी द्वारा कानूनी प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराते हुये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

1.6 संचालन एवं रख–रखाव एजेन्सी जल मीटर की व्यवस्था का निर्णय ले सकती है। मीटर लगाने का व्यय और प्रयोग के लिये देय किराया उपभोक्ता द्वारा दिया जायेगा अथवा संचालन एवं रख–रखाव एजेन्सी द्वारा लिये गये निर्णयानुसार वहन किया जायेगा।

1.7 घरेलू उपयोग हेतु 15 एम.एम. साइज से अधिक साइज के संयोजन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे तथा 01 से अधिक संयोजन लिये जाने पर अतिरिक्त संयोजन के लिये निर्धारित टैरिफ के अनुसार जल संयोजन शुल्क लिया जायेगा।

1.8 जल स्तम्भ शुल्क (स्टैण्ड पोस्ट चार्जेज) की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

भाग–4

"जल–अपव्यय का प्रतिषेध"

1. उपभोक्ता का दायित्व होगा कि वह न तो जल का अपव्यय होने देगा, न अपव्यय करेगा और न ही उससे सम्बद्व किसी जल संयोजन अथवा अन्य फिटिंग या कार्य को बिना मरम्मत के रहने देगा या रखेगा जिससे कि जल का अपव्यय हो।

2. जब कभी संचालन एवं रख–रखाव एजेन्सी को यह विश्वास करने का कारण हो कि जल संयोजन अथवा इससे सम्बद्व अन्य फिटिंग में किसी दोष के परिणामस्वरूप जल का अपव्यय हो रहा है तो संचालन एवं रख–रखाव एजेन्सी लिखित नोटिस द्वारा उपभोक्ता से निर्धारित समय के भीतर उसकी मरम्मत कराने ओर दोष दूर कराने की अपेक्षा कर सकता है।

3. यदि निर्धारित समयावधि के भीतर ऐसी मरम्मत न कराई जाय तो संचालन एवं रख–रखाव एजेन्सी ऐसे मरम्मत कार्य करा सकती है और ऐसी मरम्मत का परिव्यय उपभोक्ता से वसूल किया जायेगा।

4. जल संयोजन की पाइप लाईन पर सीधे टुल्लू अथवा कोई प्रेशर पम्प लगाना निषिद्ध होगा।

5. पेयजल से सिंचाई करना अथवा गाड़ी धोना निषिद्ध होगा अन्यथा जल संयोजन काट दिया जायेगा।

भाग–5
"जल संयोजन विच्छेदन की शक्ति"

1. पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी किसी उपभोक्ता के जल संयोजन को विच्छेदित सकता है –

1.1 यदि देय किसी कर, फीस, किराया, जल परिव्यय या किसी परिव्यय या अन्य धनराशि का भुगतान उपर्युक्त के सम्बन्ध में बिल दिये जाने के पश्चात पन्द्रह दिन अथवा जैसा कि संचालन एवं रख–रखाव एजेन्सी निर्धारित करे, के भीतर न किया जाय।

1.2 जल संयोजन या उससे सम्बद्व अन्य फिटिंग या कार्य, मरम्मत न किये जाने से इतना खराब है कि जिससे जल का अपव्यय या इसका अपदूषण होता है तो उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्यक है।

1.3 यदि जल संयोजन अथवा अन्य फिटिंग या निर्माण कार्यों में स्राव होने के कारण सार्वजनिक मार्ग को क्षति पहुॅचती है और उसकी तत्काल रोकथाम करना आवश्यक हो।

1.4 घरेलू प्रयोजनों हेतु लिये गए जल संयोजन का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो।

1.5 अवैध रूप से लिये गए जल संयोजन अथवा ऐसे अवैध जल संयोजनों को वैध करवाने हेतु निर्धारित शुल्क समय सीमा के अन्तर्गत जमा न किया गया हो।

2. संचालन एवं रख–रखाव एजेन्सी नियम–1 के अधीन विच्छेदित किये गये जल संयोजन को ऐसे परिव्ययों का भुगतान करने पर और भविष्य हेतु कतिपय प्रतिबन्ध/शर्तें निर्धारित करते हुए फिर से संयोजित कर सकता है।

भाग–6
"विवाद निस्तारण समिति का गठन "

1. पेयजल योजनाओं में सामुदायिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार के विवादों के निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसके अन्य सदस्य, पंचायत सचिव एवं कार्यान्वयन एजेन्सी के कनिष्ठ अभियन्ता होंगे। उक्त समस्याओं के निस्तारण हेतु तहसील स्तर पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसके अन्य सदस्य सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (कार्यान्वयन एजेन्सी) एवं सम्बन्धित ग्राम प्रधान होंगे।

भाग–7
"क्षमता विकास, आई0ई0सी0 एवं सामुदायिक संगठन"

1. **ग्राम पंचायत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम :–**
कार्यान्वयन एजेन्सी/जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के सहयोग से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रख–रखाव हेतु सभी स्थानीय स्तर के कर्मचारियों और जल कार्यकर्ताओं/ऑपरेटर को समय– समय पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

I/188737/2024

2. **आई0ई0सी0 और सामुदायिक संगठन :–**
ग्राम पंचायत/पंचायतें शत–प्रतिशत एफ0एच0टी0सी0 प्राप्त करने के लिए समुदाय को संगठित करने, ओ0एण्ड0एम0 टैरिफ के आदतन भुगतान, उपचारित पानी के अनुशासित उपयोग और उपभोक्ता स्तर पर पानी की सुरक्षित खपत के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

3. **ग्राम सभा की बैठकें और सामुदायिक परामर्श :–**
सामुदायिक परामर्श हेतु ग्राम पंचायत की बैठकें कम से कम वार्षिक रूप से आयोजित की जायेंगी और प्राप्त फीडबैक पर ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत और वी0डब्लू0एस0सी0 द्वारा विचार किया जाएगा।

भाग–8
"पेयजल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं का संचालन"

1. जिस विकास खण्ड में जिस कार्यान्वयन एजेन्सी का क्षेत्रीय कार्यालय (डिवीजन) अवस्थित है अथवा जो विकास खण्ड पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखारखाव हेतु जिस कार्यान्वयन एजेन्सी को आवंटित किया जाता है उस विकास खण्ड में स्थापित वाटर क्वालिटी लैब का संचालन सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

भाग–9
"विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की योजनाओं का संचालन"

1. अर्द्धनगरीय क्षेत्रों हेतु राज्यान्तर्गत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना संचालित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य विश्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर अनुबन्धानुसार सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित ऐसी योजनायें जो कार्यक्रम की समायावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी ग्रामीण परिक्षेत्र में बनी रहेंगी, ऐसी योजनायें स्वतः ही "उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव नीति 2024" के अन्तर्गत आ जायेंगी।

भाग–10
"राज्य सरकार की शक्ति"

1. "उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव नीति–2024" के प्राविधानों में समय–समय पर यथा आवश्यक संशोधन का अधिकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड में निहित होगा।

2. राज्य सरकार के अनुरक्षणाधीन (ग्राम पंचायत के अधीन योजनाओं को छोड़कर) योजनाओं में प्रचलित टैरिफ में समय–समय पर होने वाले संशोधन उक्त नीति के अन्तर्गत यथावत स्वतः ही प्रभावी होंगे।

Signed by Arvind Singh Hyanki
Date: 08-02-2024 14:36:43

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
सचिव।